झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

पंचम (मानसून)-सत्र

वर्ग- 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक- 30 भाद्र, 1942(श)
....को
21 सितम्बर, 2020(ई0)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01-	पथ0-01	श्री सुदेश कुमार महतो,	सड़क की मरम्मति	पथ निर्माण	14/09/20
02-	पथ0-02	श्री अनन्त कुमार ओझा,	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	14/09/20
03-	ग्राम0-04	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	14/09/20
04-	पथ0-04	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	सड़क चौड़ीकरण करना।	पथ निर्माण	14/09/20
05-	पथ0-05	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	पथ की मरम्मति/ निर्माण।	पथ निर्माण	14/09/20
06-	परि0-01	श्रीमती दीपिका पाण्डेय-सिंह,	ट्रांसपोर्टरों को प्राथमिकता।	परिवहन	14/09/20
07-	न0-03	श्री मनीष जायसवाल,	बस पड़ाव को विकसीत करना।	नगर विकास एवं आवास	14/09/20
08-	न0-02	श्री निरल पूर्ति,	नाली का निर्माण	नगर विकास एवं आवास	14/09/20
09-	पेय0-02	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	जलापूर्ति योजना पूर्ण कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	14/09/2(
10-	न0-01	डॉ0 लम्बोदर महतो,	हॉल्डिंग टैक्स को बन्द करना।	नगर विकास एवं आवास	14/09/20

1.	2.	3.	4.	5.	6.
11-	ग0-03	श्री अमित कुमार यादव,	अधिवक्ता वर्ग से नियुक्ति।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	14/09/20
12-	ग्राम0-02	श्री सुदिव्य कुमार,	सेवानिवृत अभियंताओं की नियुक्ति।	ग्रामीण विकास	14/09/20
13-	पथ0-03	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	सड़क का निर्माण	पथ निर्माण	14/09/20
14-	ग0-02	श्री प्रदीप यादव,	किसानों को आर्थिक सहायता।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	14/09/20
15-	ग्राम0-05	सुश्री अम्बा प्रसाद,	पूल का निर्माण	ग्रामीण विकास	14/09/20
16-	पेय0-01	प्रो0 स्टीफन मराण्डी,	जलापूर्ति योजना का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	14/09/20
17-	ग0-04	श्री दशरथ गागराई,	गृह रक्षको को वेतन एवं भत्ता	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	14/09/20
18-	श्रनि0-01	श्री इन्द्रजीत महतो,	मजदूरो का नियोजन।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	14/09/20
19-	न0-04	डॉ0 इरफान अंसारी,	नगर परिषद् का ऑडिट	नगर विकास एवं आवास	14/09/20
20-	पथ0-06	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	14/09/20
21-	ग0-01	श्री कमलेश कुमार सिंह,	दोषियो पर कार्रवाई	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	14/09/20
22-	भ0-01	श्री बिरंची नारायण,	आवास आवंटन नियमावली बनाना।	भवन निर्माण	14/09/20
23-	ग्राम0-01	श्री रामचन्द्र सिंह,	संवेदक पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	14/09/20
24-	ग्राम0-03	श्री रामचन्द्र सिंह,	पूल का निर्माण	ग्रामीण विकास	14/09/20

राँची
दिनांक- 21 सितम्बर, 2020ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- संख्या-झा0वि0स0-प्रश्न-02/2020...1560.../वि0स0, राँची, दिनांक- 16/9/20

प्रति- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश रजक 16-9-20
(सुरेश रजक)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ह0 प्र0 उ0-

ज्ञापांक- संख्या-झा०वि०स०-प्रश्न-02/2020.....1560...../वि०स०, राँची, दिनांक- 16/9/20

प्रति- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव (प्रश्न)/ संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान-सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

16.9.20

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- संख्या-झा०वि०स०-प्रश्न-02/2020.....1560...../वि०स०, राँची, दिनांक- 16/9/20

प्रति - कार्यवाही शाखा/ आश्वासन शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

16.9.20

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

16.09.20

श्री सुदेश कुमार महतो, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–01" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि रांची–पुरूलिया (राज्य पथ सं0–01) पथ की स्थिति काफी जर्जर है और लगातार दुर्घटनाएं होती रहती है ;	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में है। प्रश्नगत पथ का नाम–राँची–पुरूलिया पथ (SH-01) है। इसकी लंबाई–60.00 कि0मी0 है। पथ की आवश्यक मरम्मति हेतु कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसी वित्तीय वर्ष मरम्मति पूर्ण करा ली जाएगी।
2. क्या यह बात सही है कि इस सड़क की पर्याप्त मरम्मति एवं मजबूतीकरण पिछले कई वर्षों से नहीं की गई है ;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार सड़क की मरम्मति एवं मजबूतीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–51 / 2020 2239 (5) राँची / दिनांक : 19/09/2020
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1506 दिनांक 14.09.2020 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/2020
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
18.9.2020

02

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–02" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज सदर प्रखण्ड अन्तर्गत साहेबगंज नगर पर्षद क्षेत्र के N.H.-80 पटेल चौक से रसूलपुर दहला–एस0टी0पी0 घोरमारा पुल तक N.H.-80 महादेवगंज से लेकर P.W.D पथ शोभनपुर भट्ठा–हाजीपुर तक लिंक पथ तथा P.W.D पथ शोभनपुर भट्ठा से शिव मंदिर होते हुए मध्य विद्यालय होकर तालबन्ना दुर्गा स्थान तक लिंक रोड के निर्माण नहीं होने के कारण साहबगंज शहरी क्षेत्र की यातायात अव्यवस्थित रहती है ;	प्रश्नगत निम्न सभी पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है। 1. पटेल चौक NH-80 से लेकर रसूल पुल दहला होते हुए एस0टी0पी0 घोरमारा पुल NH-80 तक, लंबाई–4.00 कि0मी0 – – स्वामित्व नगर परिषद्, साहेबगंज। 2. महादेवगंज NH-80 से पी0डब्लू0डी0 पथ शोभनपुर भटठा हाजीपुर लिंक पथ, लंबाई–2.00 कि0मी0 –स्वामित्व ग्रामीण विकास विभाग। 3. पी0डब्लू0डी0 शोभनपुर भटठा से शिवमंदिर होते हुए मध्य विद्यालय होकर तालबन्ना दुर्गा स्थान तक लिंक पथ, लंबाई– 900 मी0 –स्वामित्व नगर परिषद्, साहेबगंज। 4. उधवा प्रखण्ड अंतर्गत पी0डब्लू0डी0 पथ राधानगर–सिरासीन लिंक रोड–कटहलबाड़ी से आतापुर होकर केलाबाड़ी, लंबाई–3.00 कि0मी0 –PMGSY पथ है, – स्वामित्व ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)। 5. प्रश्नगत पथांश लालबन–मोहनपुर पथ में लिंक रोड–लंगाई पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व का लिंक पथ नहीं है। अतः विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि जिला के उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत P.W.D पथ राधानगर–सिरासिन लिंक रोड–कटहलबाड़ी से आतापुर होकर केलाबाड़ी तक तथा लालबन मोहनपुर पथ में लिंक रोड–लांगाई तक (पुल सहित) पथ निर्माण (लिंक रोड) नहीं होने के कारण स्थानीय के साथ–साथ सुदूरवर्ती क्षेत्र से आने वाले वाहनों के यातायात में कठिनाईयाँ हो रही है ;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित पथों (लिंक रोड) के प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृत देते हुए पथों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–52/2020 2237(S) राँची/दिनांक : 19/09/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को ज्ञापांक 1504 दिनांक 14.09.2020 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/2020
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
18.9.2020

(03)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत तोपचाँची प्रखण्ड के सुकुडीह भाया खैराबेड़ा जमुनियाँ नदी पुल तक की सड़क अत्यंत ही जर्जर है,	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क जर्जर होने से वहाँ के रहने वाले ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है,	आंशिक स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–277 / 2020 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०) 1396 राँची, दिनांक 19.09.2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1498, दिनांक–14.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.09.2020
(विपिन कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–277 / 2020 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा 1396 राँची, दिनांक 19.09.2020

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–277 / 2020 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०) 1396 राँची, दिनांक 19.09.2020

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव।

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–04" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत इटको–महुगाँई मोड़ से विश्रामपुर तक पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा वर्ष 2009–10 में सड़क का निर्माण कराया गया है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का निर्माण सिंगल लेन के रूप में हुआ है जबकि उक्त सड़क से बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की गाड़ियों का आवागमन होता है साथ ही भारी वाहनों के संचालन से सिंगल लेन में काफी परेशानी के साथ दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है ; 3. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ता है जहाँ सड़क का चौड़ीकरण जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक है ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का चौड़ीकरण कराना चाहती है। हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में है। पथ का नाम "विश्रामपुर–महुगाई–ईटको पथ" है। इसकी लंबाई–18.90 कि0मी0 है। उक्त पथांश को IRQP अंतर्गत इसी वित्तीय वर्ष उन्नत कराया गया है। पथ के चौड़ीकरण हेतु संभाव्यता प्रतिवेदन तथा निधि की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–54 / 2020 2241(5) राँची / दिनांक : 19/09/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1507 दिनांक 14.09.2020 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/2020
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
18.09.2020

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–05" का उत्तर प्रतिवेदन :–

05

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के झरिया अन्तर्गत झरिया–बलियापुर पथ की स्थिति काफी जर्जर है, जिसके कारण आमजनों सहित काफी संख्या में दो पहिया वाहन चालक अक्सर सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे है ; 2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड मुख्यालय को जोड़ने वाली खण्ड 1 में वर्णित लगभग 11.5 किलोमीटर लंबी मुख्य पथ का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, धनबाद के पास है, जिसमें से झरिया स्टेशन के पास लगभग 3.1 किलोमीटर पथ की मरम्मति हेतु अस्थाई हस्तांतरण, बी0सी0सी0एल0 बस्ताकोला क्षेत्र सं0–IX, झरिया धनबाद को किया गया है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित लगभग 11.5 किलोमीटर पथ की मरम्मति/निर्माण करवाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में है। प्रश्नगत पथ का नाम–झरिया–बलियापुर पथ है। इसकी लंबाई–11.45 कि0मी0 है। जिसमें कि0मी0 0.00 से 3.10 पथांश के लिए BCCL को अनापत्ति प्रदत्त है। पथ की आवश्यक मरम्मति (कि0मी0 0.00 से 3.10 को छोड़कर) हेतु कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसी वित्तीय वर्ष मरम्मति पूर्ण करा ली जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–55/2020 2238(5) राँची/दिनांक : 19/09/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1505 दिनांक 14.09.2020 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/2020

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
18.9.2020

(07)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–न०–03 का उत्तर :–

क्र००	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि राज्य में परिवहन विभाग द्वारा संचालित सरकारी बस पड़ावों को नए तरीके से विकसित करने हेतु हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर एवं बोकारो सहित कई अन्य जिलों के बस पड़ाव के भूमि का हस्तांतरण झारखंड अर्बन ट्रांसपोर्ट को० लि० (जुटकोल) को कर दी गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। परिवहन विभाग, झारखण्ड द्वारा अविभाजित बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न शहरों में अवस्थित भूमि का नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। इस क्रम में इन भू–खण्डों के नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को निःशुल्क हस्तांतरण हेतु संबंधित उपायुक्त को अधियाचना प्रेषित की गई है। भू–हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
02	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा जुटकोल का गठन राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य की गई जिसके माध्यम से सभी बस पड़ाव को पी०पी०पी० मोड पर विकसित किए जाने से संबंधित सरकार द्वारा संकल्प जारी किए जाने के बावजूद अब तक उक्त बस पड़ावों को विकसित नहीं की गई जिसके कारण इन दिनों उक्त सभी बस पड़ावों की स्थिति अव्यवस्थित तथा जर्जर हो चुकी है जिससे यात्रियों को आए दिन काफी परेशानी हो रही है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। हाँ, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उक्त बस पड़ावों को लोक निजी भागीदारी के आधार पर विकसित करने हेतु संकल्प निर्गत है। इसके आधार पर बस पड़ावों को विकसित करने हेतु प्राईवेट कम्पनी को आमंत्रित करने के लिए RFP Float किया गया। परन्तु प्राईवेट कम्पनी द्वारा RFP के प्रावधानों के कारण इसमें अभिरूचि नहीं ली गई। फलस्वरूप Policy में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।
03	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित संकल्प अंतर्गत उक्त सभी बस पड़ावों में इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल–सह–बिजनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है;	स्वीकारात्मक।
04	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खंड–1 में वर्णित सभी बस पड़ावों को चालू वित्तीय वर्ष में विकसित करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु PPP Policy में बदलाव एवं इसके स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके स्वीकृति के उपरांत उक्त बस पड़ावों को विकसित करने संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/न०वि०/तारांकित–04/2020 ...2285 राँची, दिनांक:– 18/09/2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1512, दिनांक–14.09.2020 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18-9-20

सरकार के अवर सचिव।

08

श्री निरल पूर्ति, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–नं०–02 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची नगर निगम के वार्ड 36, न्यू पुंदाग के रोड नं० 07 विधालय मार्ग श्री बबलू गुप्ता के मकान से श्री संतोष पासवान के घर तक सड़क अत्यन्त ही जर्जर है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त रोड़ नं० में नाली के नहीं होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर ही बह रहा है, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन नारकीय हो चुका है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार लोकहित में उक्त रोड़ में कमर्ड नाली निर्माण करते हुए सड़क की विशेष मरम्मतिकरण एवं कालीकरण करना चाहती है, हाँ तो कबतक नहीं, तो क्यों ?	COVID-19 के कारण उत्पन्न वित्तीय कठिनाई के कारण राँची नगर निगम के निगम बोर्ड द्वारा प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उपलब्ध राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5 / न०वि० / तारांकित–05 / 2020..2286.. राँची, दिनांक–18/09/2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को विधान सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–नं०–02 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कोमल 18-9-20

सरकार के अवर सचिव।

D_Rajesh_/k_Vidhan Sabha_35

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा0स0वि0 सभा द्वारा दिनांक– 21.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पैय– 02 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुण्डी प्रखंड के ठेठाटाँड में मेगा जलापूर्ति योजना का शिलान्यास वर्ष– 2015 में हुआ था;	अस्वीकारात्मक। इस योजना का शिलान्यास दिनांक– 19.08.2016 को तत्कालीन विभागीय मंत्री द्वारा किया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जलापूर्ति योजना का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है, तथा पिछले 01 वर्ष से कार्य पूरी तरह से बन्द है;	अस्वीकारात्मक। कोविड– 19 के कारण योजना निर्माण का कार्य प्रभावित हुआ परन्तु वर्त्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3.	क्या यह बात सही है कि जलापूर्ति योजना पूर्ण नहीं होने से उस क्षेत्र के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त योजना से कुल 98 ग्रामों को जलापूर्ति किया जाना है जिसकी कुल आबादी लगभग 44 हजार है। वर्त्तमान में इन क्षेत्रों में 696 अदद् चापानल, 18 अदद् सौर उर्जा आधारित एवं 06 अदद् विद्युत आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से पूरी आबादी पूर्णतः आच्छादित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त जलापूर्ति योजना को पूर्ण कराते हुए वहाँ के लोगों को उसका लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	दिसम्बर– 2020 तक योजना का कार्य पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारंभ किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–138/2020– 2034 राँची, दिनांक :– 19/9/2020
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 1518, दिनांक– 14.09.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/2020
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–138/2020– 2034 राँची, दिनांक :– 19/9/2020
प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/2020
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(10)

डॉ लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या नं०–01 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया प्रखण्ड के आठ पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों के आठ राजस्व गांवों गोमिया, पलिहारी–गुरूडीह, ससबेड़ा, खम्हरा, स्वांग, पिपराडीह, हजारी, खुदगड्डा को मिलाकर नगर विकास विभाग के अधिसूचना सं०–4561, दिनांक–07.09.2018 के द्वारा गोमिया नगर परिषद् वर्ग–"ख" घोषित किया गया है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि नगर परिषद् गोमिया को अद्योहस्ताक्षरी के पत्रांक–553, दिनांक–02.04.2020 के आलोक में विघटन की कार्रवाई की जा रही है तथापि नगर विकास विभाग के निदेशक के पत्रांक–06, दिनांक–20.08.2020 के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, गोमिया द्वारा मनमाने तरीके से स्वनिर्धारण का कार्य एवं होल्डिंग टैक्स वसूली का कार्य किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभाग स्तर से गोमिया नगर परिषद् वर्ग–"ख" के विधिवत विघटन की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। विघटन के प्रस्ताव पर प्रारूप आदेश निर्गत कर सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इसपर माननीय विभागीय मंत्री महोदय की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–152 (कर उगाही की शक्ति) एवं झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्धारण एवं होल्डिंग टैक्स संग्रहण का कार्य सम्प्रति किया जा रहा है। इस क्रम में निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण का पत्रांक–1046 दिनांक–20.08.2020 द्वारा गोमिया सहित नवगठित नगर निकायों को सम्पत्ति कर स्वनिर्धारण कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगर परिषद् गोमिया को अविलम्ब विघटित करने के साथ ही तत्काल प्रभाव से स्वनिर्धारण एवं होल्डिंग टैक्स की वसूली बंद करना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–8 / तारा० / 10 / 2020 / न०वि०आ० 2288 राँची, दिनांक– 18/09/2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1510 वि०स०, दिनांक–14.09.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

D_rk_Rajesh_2020_Vidhan Sabha Question_84

श्री अमित कुमार यादव, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–21.09.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–03 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य में फरवरी, 2018 से The Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2018 लागू की गई है, जिसमें राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में अधिवक्ता वर्ग से लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक सहित अन्य पदों पर नियुक्ति का प्रावधान है	:–	स्वीकारात्मक है। विधि विभागीय अधिसूचना संख्या–439/जे0 दिनांक–16.12.2018 द्वारा The Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2018 अधिसूचित है।
2.	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित Rules के अंतर्गत झारखंड उच्च न्यायालय में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक सहित अन्य विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति अधिवक्ता वर्ग से की गई है, जबकि व्यवहार न्यायालयों में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक आदि पर पर अधिवक्ता वर्ग से नियुक्ति प्रक्रिया लंबित रखा गया है?	:–	स्वीकारात्मक है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक सहित अन्य विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची के आदेश संख्या–2169 दिनांक–08.07.2020 द्वारा की गई है। जबकि, व्यवहार न्यायालयों में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक आदि पर अधिवक्ता वर्ग से नियुक्ति प्रक्रिया वर्त्तमान में लंबित है।
3.	क्या यह बात सही है कि व्यवहार न्यायालयों में उक्त पदों का कार्य अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों से ली जा रही है, जो न्यायोचित नहीं है;	:–	उत्तर अस्वीकारात्मक है। झारखंड अभियोजन सेवा नियमावली, 2011 के द्वारा झारखंड अभियोजना सेवा का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत झारखंड राज्य के जिला एंव अनुमंडल व्यवहार न्यायालयों में सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं लोक अभियोजक का पद स्वीकृत है। सहायक लोक अभियोजक का पद झारखंड अभियोजन सेवा का मूल पद है, जिस पर झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति की जाती है। अपर लोक अभियोजक एवं लोक अभियोजक का पद झारखंड अभियोजन सेवा का प्रोन्नति का पद है, जिसे सहायक लोक अभियोजक से प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है। इस प्रकार जिला एवं अनुमंडल व्यवहार न्यायालयों में सृजित अपर लोक अभियोजक एवं लोक अभियोजक के पदों पर झारखंड अभियोजन सेवा के अभियोजको का पदस्थापन किया जाता है एवं उनके द्वारा ही जिला एवं अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में सरकार की ओर से अभियोजन का कार्य किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अधिवक्ता वर्ग से उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	:–	कंडिका–3 में उत्तरित।

नोट– कंडिका–3 एवं 4 में उल्लेखित प्रश्न का उत्तर सामग्री गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

(कु0पू0उ0)

झारखंड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0/विधि–विसप्र–19/2020–1330/जे0 राँची, दिनांक–18 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1516–वि0स0 दिनांक–14.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

18.9.2020

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

(12)

माननीय स0वि0स0 श्री सुदिव्य कुमार द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम– 02 की सूचना से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक– 1838, दिनांक 28.07.2020 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर केन्द्र/राज्य के सेवानिवृत पदाधिकारियों को संविदा पर नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है;	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है।
(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के मात्र पाँच जिलों में ही स्थायी जिला अभियंता कार्यरत है और 19 जिलों में जिला अभियंता के पद रिक्त है, जिससे पंचायती राज के सारे विकास कार्य अवरूद्ध है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की तर्ज पर सेवानिवृत जिला अभियंताओं को विभिन्न जिलों में रिक्त जिला अभियंताओं के पद पर नियुक्त करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिलों में ग्रामीण विकास विभाग के अभियंताओं अथवा अन्य विभाग के अभियंता को प्रभार दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0)– 103/2020 1501 /, राँची, दिनांक :– 18.9.2020

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1500 दिनांक 14.09.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/20
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0)– 103/2020 1501 /, राँची, दिनांक :– 18.9.2020

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

18/9/20
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0)– 103/2020 1501 /, राँची, दिनांक :– 18.9.2020

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/9/20
सरकार के उप सचिव।

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–03" का उत्तर प्रतिवेदन :– (13)

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के विश्रामपुर नावाबाजार तथा पाण्डु प्रखण्ड नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ आवागमन की सुविधा का अभाव है, जिससे जनता को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ; 2. क्या यह बात सही है, उक्त क्षेत्र हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा 22 कि0मी0 रोड ब्रहमोरिया मोड़ से दुर्गामांइस होते हुए कजरू कला तक के लिए वर्ष 2019–2020 में प्राक्कलन तैयार किया गया था, परन्तु अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं दी गई है। जिससे आम जनता में भारी आक्रोश है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है। पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–53/2020 2240(S) राँची/दिनांक : 19/09/2020
प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1509 दिनांक 14.09.2020 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/2020
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
18.9.2020

(14)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन प्रभाग
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला में मार्च 2020 में आये भारी तूफान एवं ओलावृष्टि से गोड्डा अंचल के 2 पंचायत नोनबट्टा एवं झिलुवा के किसानों के फसल, सब्जीएवं आम जैसे फलों की भारी बर्बादी हुई थी;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि सरकार के घोषणा के बावजूद भी उन किसानों को अभी तक सरकारी सहायता नहीं मिल पाई है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त आपदा से पीड़ित किसानों को अविलम्ब आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–2669 दिनांक–11.09.2020 द्वारा अधियाचना उपलब्ध कराया गया है जिसपर आवंटन स्वीकृत किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–10/2020–3072/आ०प्र०, राँची, दिनांक– 19-9-2020

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अमरेश 19/9/2020
(अमरेश कुमार नीरज)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक –07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–10/2020–3072/आ०प्र०, राँची, दिनांक– 19-9-2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1515 दिनांक–14.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

अमरेश 19/9/2020
सरकार के अवर सचिव।

C:\Users\win7\Desktop\ANUJ\Rashmi\Asst.2\Letter_2020.docx74

(15)

सुश्री अंबा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–05

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
सुश्री अंबा प्रसाद, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1 क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ जिले के बड़कागाँव स्थित अंगो पंचायत के अंबाटोली एवं चेलंगदाग गाँव में हरारो नदी पर पुल का निर्माण नही हुआ है ;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है, कि उक्त पुल के न होने से बरसात के दिनों में अंबाटोली, चेलंगदाग, पलांडू, कुदरू बुंडू, झिकझोर, लोहरसा आदि गाँवों के लोगों का आवागमन बाधित रहता है ;	स्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में पुल नही होने के वजह से बरसात के दिनों में काफी जान–माल की क्षति हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित में अंबाटोली एवं चेलंगदाग गाँव में हरारो नदी पर पुल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	मा0स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–90 / 2020 / ग्रा0का0 1401 राँची, दिनांक– 19.09.2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1501 वि0स0 दिनांक–14.09.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–90 / 2020 / ग्रा0का0 1401 राँची, दिनांक– 19.09.2020

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–90 / 2020 / ग्रा0का0 1401 राँची, दिनांक– 19.09.2020

प्रतिलिपि:– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव

(16)

प्रो० स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि० सभा द्वारा दिनांक– 21.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 01 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार ने प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय के पंचायतों में जलापूर्ति करने की घोषणा की थी;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि महेशपुर विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत पाकुड़िया प्रखण्ड मुख्यालय में पंचायत में जलापूर्ति निर्माण योजना में कोई पहल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पाकुड़िया प्रखण्ड मुख्यालय पंचायत में जलापूर्ति योजना के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पूर्व में पाकुड़िया प्रखण्ड पंचायत मुख्यालय के ग्रामों में पाईप जलापूर्ति योजना का PFR/DPR तिरपतिया नदी को जल श्रोत के रूप में लेकर तैयार की जा रही थी। किन्तु गर्मी के दिनों में नदी का बहाव कम रहने के कारण श्रोत पर्याप्त नहीं पाया गया था, जिस कारण से तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छत अंचल, दुमका द्वारा इस पर सहमति नहीं दी गई। पाकुड़िया प्रखण्ड के पंचायत पाकुड़िया की कुल आबादी लगभग 5300 है जिसमें से लगभग 2000 की आबादी को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा निर्मित HYDT से एवं शेष आबादी को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सोलर आधारित एकल ग्राम जलापूर्ति योजना (SVS) का निर्माण कर आच्छादित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–137/2020– 2033 राँची, दिनांक :– 19/9/2020
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 1519, दिनांक– 14.09.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/2020
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–137/2020– 2037 राँची, दिनांक :– 19/9/2020
प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/2020
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(17)

श्री दशरथ मागराई, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा वाहिनी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या–12011/1/Misc Ref/2018-DGCD (HG), दिनांक–11.04.2018 के तहत् झारखण्ड सरकार को पत्र प्रेषित करते हुए "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गृह रक्षकों को पुलिस आरक्षी के समतुल्य वेतन (वेतन+ग्रेड–पे+महंगाई भत्ता+धुलाई भत्ता) के तहत् कर्त्तव्य भत्ता देने हेतु न्यायादेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि ऊपर वर्णित पत्र में दिये गये निर्देशो का अनुपालन कराने हेतु राज्य के होमगार्ड समय–समय पर मांग करते रहे है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के होमगार्डो के हित में उपरवर्णित पत्र में दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Civil Appeal No.-2782-2783/2015 तेज सिंह एवं अन्य बनाम सर्वेश कौशल एवं अन्य संबन्ध मामलों में पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद W.P.(S) No.-582/2017 अजय प्रसाद एवं अन्य मामले में गृह रक्षकों को पुलिस कर्मियों को अनुमान्य मूल वेतन एवं अन्य भत्ते के अनुरूप कर्त्तव्य भत्ता देने का आदेश पारित किया गया है। उक्त न्यायादेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में L.P.A No.-272/2018 दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। वर्त्तमान में विभागीय संकल्प सं०–1257, दिनांक–08.03.2019 के आलोक में राज्य के गृह रक्षकों को दिनांक–01.04.2019 से कर्त्तव्य भत्ता/प्रशिक्षण भत्ता के रूप में प्रतिदिन 500/– रूपये का भुगतान किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स०–07/2020–3177./ राँची, दिनांक– 20/09/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1514, दिनांक–14.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

(18) 947 18/09/20

श्री इन्द्रजीत महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–01 की उत्तर सामग्री

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता श्री इन्द्रजीत महतो, माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि झारखण्ड वापस आये प्रवासी मजदूरों को अपने जिलों में नियोजन की व्यवस्था की जायेगी;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र के वापस आये प्रवासी मजदूरों को अबतक कोई भी रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि कई उद्योग/प्रतिष्ठानों में अन्य राज्यों के मजदूरों का नियोजन किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक है। सिन्दरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बाहर से वापस आए प्रवासी श्रमिकों को यथासंभव रोजगार की व्यवस्था की गई है, यथा; • सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 2 मेगा प्रोजेक्ट जिसमें निर्माणाधीन हिन्दुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड प्रोजेक्ट में सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र के 895 स्थानीय लोगों को कार्यकुशलता के अनुसार रोजगार दिया गया है। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट में झारखण्ड के 3,168 लोग कार्यरत है। • निर्माणाधीन ए०सी०सी० सिन्दरी विस्तारित प्रोजेक्ट एवं प्लांट में कार्यकुशलता के अनुसार 1,156 स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है, जो सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र के हैं। • सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोविन्दपुर प्रखण्ड में मनरेगा के तहत 16,991 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है जिसमें से 900 लोग प्रवासी मजदूर हैं। • सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सैकड़ों छोटी औद्योगिक ईकाईयाँ हैं जिसमें स्थानीय लोगों को कार्यकुशलता के अनुसार रखा गया है। जिसमें प्रवासी मजदूर भी सम्मिलित है। • सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बलियापुर प्रखण्ड में मनरेगा के तहत 3,714 स्थानीय व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया गया है जिसमें 480 व्यक्ति प्रवासी मजदूर हैं।

3	क्या यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र के वापस आये प्रवासी एवं स्थानीय मजदूरों को नियोजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथोपरि।

(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–01 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–43 / 2018श्र0नि0–997 राँची, दिनांक–18/09/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–1520, दिनांक–14.09.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(19)

श्री इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–04 का उत्तर प्रतिवेदन–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा, मिहिजाम, मधुपुर एवं जामताड़ा नगर परिषद् का ऑडिट पिछले 6 वर्षों से नहीं हुई है ?	अस्वीकारात्मक। गोड्डा, मिहिजाम, मधुपुर नगर परिषद एवं जामताड़ा नगर पंचायत का वित्तीय वर्ष 2012–13 से वर्ष 2018–19 तक का अंकेक्षण किया गया है, जिसका प्रतिवेदन विभागीय वेबसाईट udhd.jharkhand.gov.in पर uploaded है। साथ ही महालेखाकार कार्यालय द्वारा भी समय–समय पर निकायों का अंकेक्षण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 का ऑडिट हेतु, CA firm चयन कार्य प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त नगर परिषद में ऑडिट नहीं होने से वित्तीय अनियमितताएँ बढ़ती जा रही है, जिससे सरकार के प्रति वर्ष भारी वित्तीय क्षति हो रही है ?	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त नगर परिषद् का ऑडिट कराने का विचार रखती है, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक– SUDA/ AMRUT/Vidhan Sabha/71/2020/UDHD 2300 राँची, दिनांक 20/09/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० 1511, दिनांक–14.09.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20-09-2020

अवर सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(20)

दिनांक–21.09.2020 को माननीय स०वि०स० श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पथ–06

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत् झारिया के डुंगरी कालीमेला छठ घाट बस्ती से पंडुवा बस्ती को जोड़ने वाली दामोदर नदी पर निर्मित पुल का लगभग 04 किलोमीटर पहूँच पथ अत्यंत ही जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित आठ करोड़ की लागत से बने पुल को जोड़ने वाली पहूँच पथ के बन जाने से झरिया के लोगों को बोकारो आवागमन में काफी सुविधा के साथ–साथ 18 किलोमीटर का दूरी भी कम तय करनी पड़ेगी;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित पहूँच पथ का मरम्मति/निर्माण करवाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विषयांकित पथ नगर निगम, धनबाद के क्षेत्राधिकार में है। नगर निगम, धनबाद से एन0ओ0सी0 प्राप्त होने तथा बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–283/2020 ग्रा0का0मा0 1399 राँची/दिनांक–19.09.2020
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1508, दिनांक–14.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–283/2020 ग्रा0का0मा0 1399 राँची/दिनांक–19.09.2020
प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–283/2020 ग्रा0का0मा0 1399 राँची/दिनांक–19.09.2020
प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्यमामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव।

(21)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–01 की उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत ए०के०सिंह कॉलेज, जपला में व्याप्त भ्रष्टाचार के संदर्भ में नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय की तीन सदस्यीय कमिटी द्वारा फरवरी 2018 में जाँचोपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, रिपोर्ट के आधार पर माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड के निर्देश पर निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड ने भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर डोरंडा, राँची थाना में कांड संख्या–157/18, दिनांक–11.07.2018 के द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित डोरंडा, राँची थाना के कांड संख्या–157/18, दिनांक–11.07.2018 को हुसैनाबाद (पलामू) थाना में हस्तांतरित कर दिया गया है, जिसका कांड संख्या–161/2020, दिनांक–03.07.2020 है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी दिनांक–05.09.2020 तक नहीं हो सकी है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार ए०के०सिंह कॉलेज, जपला के भ्रष्टाचार में लिप्त नामजद दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है। प्रक्रिया एवं साक्ष्य के आधार पर साक्ष्यों की पुष्टि होने पर तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक:–08/वि०स०(04)–19/2020 3178 / राँची दिनांक– 20/09/2020 ई०।

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1517/वि०स०, दिनांक–14.09.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/9/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

22

श्री बिरंची नारायण,मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–प्र–01 का

उत्तर प्रतिवेदन:–

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में अबतक माननीय विधायकों को देय सुविधान्तर्गत आवास आवंटन से सम्बंधित नियमावली का गठन नहीं किया गया है;	**स्वीकारात्मक।** भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–1434(भ0) दिनांक–07.07.2004 द्वारा सरकारी आवास आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली नियमावली 2004 गठित है। उल्लेखित नियमावली की कंडिका '3' के उप कंडिका 'म' में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों/झारखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों जो किसी नियम के अन्तर्गत केन्द्रीय पूल के आवासों के पात्र हो को "**पृथक–पूल**" या "**सब–पूल**" का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत विधान सभा सदस्यों को केन्द्रीय पूल एवं "**पृथक–पूल**" या "**सब–पूल**" के अंतर्गत विधान सभा पूल से आवास आवंटित किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रायः यह देखा जाता है कि सत्ताधारी दल के प्रथम बार के माननीय विधायक को राँची में अवस्थित F टाईप बंगला आवंटित कर दिया जाता है, जबकि विपक्ष के दूसरे और तीसरे टर्म के माननीय विधायकों को E टाईप का आवास आवंटित किया जाता है;	कतिपय मामलों में संतोषप्रद कारणों के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से ऐसे आवंटन किये जाते रहे हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि माननीय 11 मंत्रियों के लिए भी राँची में 11 मंत्री आवास निर्धारित (फिक्स) नहीं है;	अस्वीकारात्मक। भवन निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–04–सह–पठित ज्ञापांक–58(भ0) दिनांक–09.01.2020, अधिसूचना संख्या–275(भ0) दिनांक–14.02.2020 एवं 364(भ) दिनांक–03.03.2020 द्वारा कूल 11 (ग्यारह) आवास मा0 मंत्री गण के लिए कण्डिकित है। मा0 मंत्री की सुविधा एवं इच्छानुसार इसमें आंशिक परिवर्तन भी किए गए हैं।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार माननीय विधायकों के लिए वरीयता के अनुसार आवास आवंटन नियमावली बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट प्रस्ताव एवं कार्य योजना में मा0 सदस्य गण, झारखण्ड विधानसभा हेतु पृथक आवास निर्माण कार्य शामिल है। ऐसे में माननीय विधायकों के लिए आवास आवंटन नियमावली बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

18/9/20

संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक:- भ0-03-विधायी(ता0प्र0)-19/20....1316 (भ0) रॉची, दिनांक:- 18/09/2020

प्रतिलिपि:-श्री सुरेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या-1497/वि0स0, दिनांक-14.09.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/2020

संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, रॉची।

(23)

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–01 की उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिलान्तर्गत गारू प्रखण्ड में सरयू एक्सन प्लान के तहत् प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सरयू से गारू भाया गणेशपुर पथ 19.620 कि0मी0 का निर्माण कराया जा रहा है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है, कि उक्त पथ के निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा घटिया मैटेरियल का प्रयोग तथा प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कराया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के निर्माण के क्रम में ही पथ एक तरफ से टूटता जा रहा है;	पथ के चैनेज 1800 मी0, चैनेज 6650 मी0 एवं चैनेज 6750 मी0 में कुछ त्रुटि पाई गई थी जिसको सुधार कर दिया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पथ की गुणवता की जाँच कराते हुए संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विषयांकित पथ RCPLWEA अन्तर्गत कराया जा रहा है। पथ का कार्य प्रगति पर है। पथ निर्माण कार्य में SQM (राज्य गुणवत्ता मॉनिटर) द्वारा गुणवत्ता जाँच किया गया है एवं जाँच फल संतोषप्रद प्रतिवेदित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–279 / 2020 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 1407 राँची, दिनांक 19.09.2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके पत्रांक–1502, दिनांक–14.09.20 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.9.2020
(विपिन कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–279 / 2020 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 1407 राँची, दिनांक 19.09.2020

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव। 2020

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–279 / 2020 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 1407 राँची, दिनांक 19.09.2020

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव।

(24)

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत गारू प्रखण्ड में सरयू एक्सन प्लान के तहत सरयू से गारू भाया गणेशपुर पथ के बीच कोयल नदी पर पुल निर्माण हेतु मे0 रेहान कंट्रेक्सन को कार्य आवंटित किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि पुल स्वीकृति के 4.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त संवेदक द्वारा पूल निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि उक्त पूल के निर्माण नहीं होने से बड़ी आबादी वाला क्षेत्र को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त संवेदक को काली सूची में दर्ज करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित कर पूल निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संवेदक को शपथ–पत्र के माध्यम से मार्च–2021 तक कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05(वि0स0)–89 / 2020 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 1406 राँची, दिनांक 19.09.2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1499, दिनांक–14.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विपिन कुमार) 2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0)–89 / 2020 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 1406 राँची, दिनांक 19.09.2020

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0)–89 / 2020 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 1406 राँची, दिनांक 19.09.2020

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।